



झारखण्ड सरकार
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(जिला भू-अर्जन कार्यालय, राँची)

अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

“रिंग रोड से झारखण्ड जगुआर (S.T.F) कैम्प तक पहुँच पथ निर्माण परियोजना”

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा “रिंग रोड से झारखण्ड जगुआर (S.T.F) कैम्प तक पहुँच पथ निर्माण परियोजना” हेतु ग्राम-झिरी, थाना सं.-145, अंचल:-रातु, जिला-राँची में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश रकबा-0.225 एकड़ भूमि अपेक्षित है।


इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश रकबा-0.225 एकड़ है, जो ग्राम- झिरी, थाना सं.-145, अंचल:-रातु, जिला-राँची में जिसकी विवरण निम्नलिखित है :-

मौजा-झिरी


क्र०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
01	33	277	काएमी	दोन- III	0.225	अकलु उरांव वल्द दीन। उरांव वगैरह	भाग खेसरा-277	पार्ट खेसरा-277	रिंग रोड	खेसरा संख्या- 263
				कुल	0.225					


यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम संख्या-30/ 2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-


ग्राम-XXX, थाना संख्या-XXX, अंचल-XXX, जिला-XXX, क्षेत्रफल-XXX एकड़, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।


अमीन,
जि०भू०अ०का०,राँची।


कान्चनमो,
जि०भू०अ०का०,राँची।


जि० भू० अ० पदा०,
राँची।
25/05/2021


अपर समाहर्ता,
राँची।


उपायुक्त,
राँची।